



पत्रांक—991 / वि०वि०म०,हा० / विज्ञापन

दिनांक—30/05/2024

विषय: विज्ञापन आदेश।

विज्ञापन व्यवस्थापक

वीर अर्जुन (हिन्दी),

दिल्ली संस्करण

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 31.05.2024 तक (किसी अंक में), कम से कम स्थान में हिन्दी समाचार पत्रों के लिये 8–10 प्वाइंट में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6–8 प्वाइंट में रनिंग मैटर में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग के नीचे के नाम व पता यथा सम्भव एक लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। विज्ञापन में शीर्ष पर निगम का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक भी सबसे छोटे पठनीय टाईप में अवश्य प्रकाशित करें।

- वर्गीकृत विज्ञापन अथवा निविदा शुद्धिकरण/वैधानिक सूचनाओं को 1 कॉलम (चौड़ाई 4 सेमी) में प्रकाशित करें निगम का नाम “पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०” 14फोन्ट साईज B/W पट्टी तथा बोल्ड शब्दों (चौड़ाई 1 सेमी) में प्रकाशित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान संभव न होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा पत्र की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- टेन्डर/सूचना इत्यादि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद निगम की पूर्वानुमति के बिना कदापि प्रकाशित न करें।
- यदि आपकी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन डी०ए०वी०पी० निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अंत में सबसे छोटे टाइप में “विद्युत हैल्पलाईन 1800–180–3002 (मेरठ), 1800–180–8752 (लखनऊ)” तथा “राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाये” का नारा अवश्य प्रकाशित करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्रदे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार कठौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका अथवा निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक: विज्ञापन

भवदीय

०/८ (अवनीश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता।
विद्युत वितरण मण्डल
हापुड़

०/८ (अवनीश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता।
विद्युत वितरण मण्डल
हापुड़

पत्रांक—991 / वि०वि०म०,हा० / विज्ञापन तददिनांक—30.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया पार्क, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), बुलन्दशहर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण/परीक्षण खण्ड-प्रथम/द्वितीय, हापुड़ एवं गढ़मुक्तेश्वर।
- नोटिस बोर्ड।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अल्पकालीन ई०-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-टैण्डरिंग माध्यम से निविदाएं निर्धारित तिथि समय दोपहर 12:00 तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन 15:00 बजे ई-पोर्टल पर खोली जायेगी। निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टैण्डर वैब साईट www.etender.up.nic.in एवं www.pvvnli.org पर उपलब्ध करायी जायेगी। विस्तार से सभी जानकारी हेतु उक्त साईट पर लॉग ऑन करें। निविदा शुल्क ₹०-१०००+अनुमन्य कर (अप्रतिदेय), निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि 15.06.2024, ई०नि०सं०-०६ / २०२४-२५-वि०वि०ख०-प्र०हापुड़ के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदलने इत्यादि कार्य, धरोहर राशि अं०र०-२०००/- ई०नि०सं०-०७ / २०२४-२५-वि०वि०ख०-गढ़ के अन्तर्गत किराये पर जनरेटर रखने इत्यादि कार्य, धरोहर राशि अं०र०-२३००/- "राष्ट्रहित में बिजली बचाएं!"


अधीक्षण अभियन्ता
४/८ विद्युत वितरण मण्डल
हापुड़